is encouraged, inter-alia, through concessions on supplies of capital goods for the fertilizer industry in the form of import duty exemption and deemed export benefits, as well as interest rate concession on long term loan raised by fertilizer units.

A number of fertilizer projects with an estimated capital cost of about Rs. 5764.73 crore are under implementation. When commissioned, they are expected to produce an additional 23.32 lakh MTPA of Urea and 7.81 lakh MTPA of complex fertilizers. Besides, investment initiatives for expanding the capacity have been undertaken by existing fertilizer units.

Ancillary Units At Nagothane for Supply of Packaging Materials

4465. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether IPCL has appointed ancillary units at Nagothane for supply of packaging materials;

(b) if so, the terms and conditions in regard thereto and whether all the terms were honoured by the IPCL;

(c) how many ancillaries were established and whether all are functioning, alongwith the financial position of each of them;

(d) whether any rate revision has been made for purchase after 1993; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA): (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधिक समीक्षा

4466. **श्री नागमणि:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई मध्यावधिक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे हैं;

(ग) क्या उक्त योजना-अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) सरकार ने 8 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन कराया गया था। इस मूल्यांकन से पता चला है कि स्कीम आमतौर पर सभी क्षेत्रों तथा राज्यों की आबादी के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी है। अध्ययन में स्कीम की कुछ कमियों तथा कठिनाइयों को भी उजागर किया गया है। इनकी ओर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रोजमर्रा के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, का ध्यान आकर्षित किया गया है, ताकि वे उपयुक्त कार्यवाही कर सकें।

(ग) से (ङ) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लक्ष्यों का प्रस्ताव स्वयं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलने, अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करने, जाली राशन कार्ड समाप्त करने तथा अतिरिक्त गोदाम क्षमता सृजित करने/किराए पर लेने के मामले में देश स्तर के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। केंद्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके